UPMT010029682026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट, मथुरा।
पीठासीन – डॉ.(श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (एच.जे.एस.)
{J.O.Code No. UP 6191}
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– /2026
नाजिम बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त नाजिम की ओर से मु०अ०सं०–162/2022, विशेष सत्रवाद संख्या 111/2022, धारा–323,504 भा.दं.सं., व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–राया, जिला–मथुरा में जमानत हेतु दिया गया है।
2. जमानत आवेदनपत्र में अभियुक्त का संक्षिप्त कथन है कि, अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, किंतु विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ होन के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः अभियुक्त को जमानत आवेदन एवं जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र में दिये गये आधारों पर जमानत पर रिहा किया जाये। जमानत आवेदन के साथ साहिद ने अपना शपथपत्र दिया है।
3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अभियुक्त जानबूझकर गैर जाहिर नहीं हुआ था। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।
5. विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुए कहा कि अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का दुरूपयोग किया गया है। पत्रावली पर उसके विरूद्ध गैर जमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र जारी हैं, वह जमानत का पात्र नहीं है, अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।
6. अभियुक्त उक्त वाद में पूर्व में जमानत पर था। पत्रावली में अभियुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी किये गये। गैर जमानतीय अधिपत्र पर थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर विद्वान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिसे विद्वान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.08.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर धारा 309 दं.प्र.सं. का वारंट बनाकर जेल

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.08.11 10:28:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भेजा गया। अभियुक्त तभी से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त अब विचारण हेतु उपस्थित आने तथा विचारण में सहयोग करने को तैयार है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, गुण दोष पर अन्तिम निष्कर्ष दिये बिना ही, अभियुक्त को आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नाजिम का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुवलिग 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो नये प्रतिभू तथा इस आशय की अंडरटेकिंग कि अभियुक्त अब विचारण के दौरान अनुपस्थित नहीं होगा, बराबर विचारण में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहयोग करेगा। गवाहों के आने पर जिरह करेगा, गवाहों पर पक्षद्रोही होने का दबाव नहीं बनायेंगा, साथ ही बिना न्यायालय की अनुमति के कहीं बाहर नहीं जायेगा, के प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक– 10.08.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
ID – UP6191